राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्या प्रवेश (रेडीनेस) कार्यक्रम की उपादेयता

डी.डी. गौतम*

शिक्षा किसी समाज अथवा परिवेश में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित करती है और उनमें परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा नित्य विकासमान अवधारणा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के स्वरूप को और अधिक मूल्यपरक एवं प्रभावी बनाने के लिए सदैव सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इसी आशय को ध्यान में रखकर वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है जिसमें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इस बात की भी अनुशंसा की गई है कि बच्चों को खेल और गतिविधि-आधारित सीखने के साथ भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो। प्रथम बार विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को कक्षा 1 में पूर्व-औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्ले-आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम (अंतरिम उपाय) को मिशन मोड पर तत्काल लागू करने की सिफारिश की है जिसे विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा गया है। यह रेडीनेस पैकेज के रूप में कक्षा 1 के शुरुआती तीन माह या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है जिसमें गतिविधियों एवं खेल-खेल के माध्यम से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को सीखेंगे। ऐसे कौशल भी हासिल करेंगे जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव के निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे।

शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए आरंभ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली व संगठनात्मक ढाँचे में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। वर्तमान परिदृश्य में परिवर्तन के प्रयास एवं सामंजस्य को ही नवाचार कहा गया है। शिक्षा की नींव, बुनियादी ढाँचे पर निर्भर होती है और बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास इस बुनियादी ढाँचे पर निर्भर है।

शिक्षा दर्शन में सामान्यतः शिक्षा के दो स्वरूप यथा अनौपचारिक एवं औपचारिक को सम्मिलित किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो

*अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक-कुम्हेर, भरतपुर (राजस्थान)

व्यावहारिक अथवा परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए घर, परिवार अथवा समाज से प्राप्त होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा किसी संस्था अथवा विद्यालय में प्रवेश के उपरांत कक्षा-कक्षीय गतिविधियों के अंतर्गत शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक एवं शारीरिक कौशल को हासिल करने से प्राप्त होती है। इसमें बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ-साथ परिवार व समाज के अनुभवों तथा व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा स्वयं भी सीखते हैं, साथ ही स्वतः ज्ञान का सृजन करते हैं। इसे ज्ञान के निर्माण की संज्ञा दी गई है। अतः उत्तरोत्तर कक्षाओं में अध्ययन पूर्व, बुनियादी शिक्षा का सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण होना नितांत आवश्यक है।

पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप एवं संगठनात्मक ढाँचे में बदलाव के साथ-साथ शैक्षिक उत्थान के उद्देश्य से शिक्षा आयोग, नीति, शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में शिशु देखभाल एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण माना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि बच्चों को इस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए, जिससे स्वतंत्र रूप से अनुभवों के द्वारा निडर होकर खेल-खेल की विधि से स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं, समझ, सीख और योग्यता को प्रखर बना सके। सभी को सरल व सुलभ शिक्षा प्रदान करना मानवाधिकारों की प्राथमिकता भी रही है।

बाल शिक्षा मनोविज्ञान

आयु वर्ग 0 से 5 वर्ष में बच्चों की मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की गति, शेष आयु तुलना में तीव्र गति से होती है। इस आयु में मस्तिष्क का लगभग 85 से 90 प्रतिशत भाग विकसित हो जाता है। बचपन में 0–3 आयु वर्ग में बालक अपने परिवार और परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए, 3–5 अथवा 3–6 आयु-वर्ग में बालक परिवेश के साथ-साथ उपलब्धतानुसार शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से बाल्यावस्था अनुरूप अधिगम करते हैं। इसे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की संज्ञा दी गई है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की ओर पहला कदम कहा गया है। शिक्षाविदों द्वारा ऐसा माना गया है कि, इस आयु वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा का बोझ न देकर, उन्हें खेल विधियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण की ओर अग्रसर करना चाहिए। जिससे बच्चों में मांसपेशीय, भाषात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। इसे प्रारंभिक बाल विकास कहते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के द्वारा, बच्चे आत्मविश्वास में वृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इसे बुनियादी शिक्षा अथवा विद्यालय तैयारी कार्यक्रम भी कहा गया है। इस आयु में बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहजरूप से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसमें बालक की आधारभूत प्रवृत्तियों का विकास भलीभाँति होने की संभावना होती है। एन.सी.एफ. 2005 में शिशु देखभाल एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को औपचारिक शिक्षा से पूर्व

तैयार करना महत्वपूर्ण माना है। अतः पूर्व-प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं औपचारिक शिक्षा की प्रथम सीढ़ी (कक्षा-1) में प्रवेश हेतु तैयार किए जाने के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिससे औपचारिक शिक्षा की नींव मजबूत की जा सके। अतः इसी आशय को संज्ञान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्तमान में संचालित शिक्षा के संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन करते हुए 10+2+3 की व्यवस्था के स्थान पर पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर एक नई शिक्षण व्यवस्था को पुनःगठित कर लागू किया गया है जिसकी संरचना में प्रथम 6 वर्ष को बुनियादी अवस्था माना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए आरंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों में बुनियादी शिक्षा (बुनियादी पठन-लेखन और अंक गणितीय कौशल) के मूलभूत कौशल हासिल करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा के मध्य कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन के तीन माह (12 सप्ताह) का विद्या प्रवेश (अंतरिम उपाय) के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें खेल-विधि के माध्यम से सरल और सहज वातावरण के साथ-साथ कक्षा 1 में प्रवेश लेने की बुनियादी दक्षता हासिल कर सकें। इसे ही विद्या प्रवेश कहा गया है।

कक्षा 1 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में गतिविधियों को शामिल करने से पहले यह ध्यान रखा गया है कि अनुशांसिक शैक्षणिक प्रक्रियाएँ केवल तीन माह (12 सप्ताह) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कक्षा 1 में इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को एक समान गुणवत्तापूर्वक पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। कोई आँगनबाड़ी से आता है और कोई सीधा घर से कक्षा 1 में प्रवेश लेता है। इसी का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सिफारिश की है कि सभी बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश के उपरांत तीन माह का प्ले-आधारित

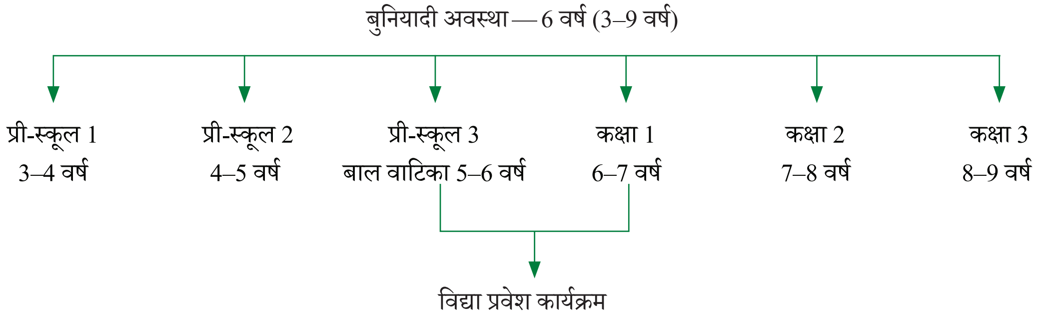

भयमुक्त, सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जो कि औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में मददगार साबित हो सके। इस प्रकार के गतिविधि-आधारित स्कूल तैयारी पैकेज की सहायता से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को सीखने के कौशल हासिल कर सकेंगे। इसी को संज्ञान में लेते हुए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम विद्या प्रवेश में अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार और नंबर सीखने की गतिविधियाँ और कार्य-पत्रकों को शामिल किया गया है। इसके क्रियान्वयन में शिक्षकों के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को भी महत्व देते हुए उनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं जिससे प्रत्येक बच्चा स्कूल (औपचारिक शिक्षा) के लिए तैयार हो सके।

विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान में प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करने की अनुशंसा के साथ-साथ शिक्षण व्यवस्था में लचीलेपन की अपेक्षा की गई है जिससे शिक्षार्थी अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन जीने का रास्ता सहज भाव से खोज सकें। यह शिक्षा नीति बहुल दिशा के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ बचपन को सुदृढ़ बनाना है। नीति, आवश्यक कौशल हासिल करने, बुनियादी अवधारणाओं को सीखने और समग्र विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाने की सिफारिश करती है। इसलिए सीखने के अनुभव, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से ही विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश तक एक निरंतरता में शुरू होने चाहिए, जिसे आधारभूत चरण कहा जाता है।

विद्या प्रवेश कक्षा 1 के लिए तीन माह (90 दिवस) का प्ले-आधारित तैयारी कार्यक्रम है, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग पाँच करोड़ से अधिक बच्चे मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा बच्चों के स्कूल शिक्षा में सहज पारगमन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना है, ताकि उन्हें खेल-खेल में सीखने एवं आयु अनुरूप शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियाँ तैयार की गई हैं, जिससे नौनिहालों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने की सकारात्मक पहल की जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखना, उन्हें एक अच्छा संचारक बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे अच्छे शिक्षार्थी बनें और अपने तत्काल पर्यावरण से जुड़ सकें, ताकि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चल सके, चाहे वह स्कूल में हो या घर पर।

कार्यक्रम समयावधि

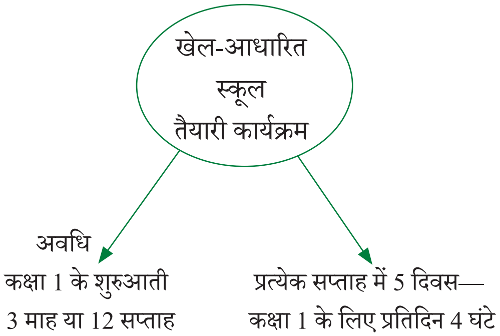

विद्या प्रवेश कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को चित्रित किया है। इसमें गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा की प्रत्येक बच्चे तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के बदलते स्वरूप की दिशा में आगे बढ़ने का एक स्पष्ट संदेश समाहित है। बच्चों के सीखने के आकलन, परिणामों एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन बच्चों की शिक्षा आयु अनुरूप देरी से शुरू होती है अथवा जो बच्चे बिना पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए सीधे ही औपचारिक शिक्षा के लिए कक्षा 1 में प्रवेश पाते हैं वे बच्चे सामान्यत: शिक्षा के मानक स्तर से पीछे रह जाते हैं। परिणामस्वरूप वे स्कूली शिक्षा से या तो पलायन करने की स्थिति में होते हैं या ड्राप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में ज्यादातर मामलों में आँगनबाड़ी के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अभाव के कारण बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में सीधे ही 6 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणना जैसे बुनियादी कौशल को सीखने में असफल रह जाते हैं। अत: वर्तमान परिस्थितियों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु ई.सी.सी.ई/बाल वाटिका जैसी संगठनात्मक ढाँचे के विकास की महत्ती आवश्यकता है। इसी को संज्ञान में लेते हुए विद्या प्रवेश कार्यक्रम को विकल्प के रूप में लागू किए जाने का प्रयास किया गया है। जिससे शिक्षा की व्यवस्था को सतत बनाते हुए बच्चों में बातचीत, खेल-कूद, चलने-फिरने, ध्वनि और संगीत के साथ-साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता के द्वारा संज्ञानात्मक व भावात्मक उत्प्रेरण के वातावरण को तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम को निपुण भारत मिशन या बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु एक अंतरिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है जो कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के साथ कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले बच्चों के सीखने और समायोजन की ओर उन्मुख करता है। अत: बच्चों को स्कूल के माहौल से परिचित कराने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, प्राकृतिक वातावरण से आत्मसात करने, शिक्षार्थी बनने के कौशल का विकास करने के उद्देश्य से विद्या प्रवेश कार्यक्रम के रूप में एक नवीन पहल की गई है।

कार्यक्रम का शिक्षाशास्त्र

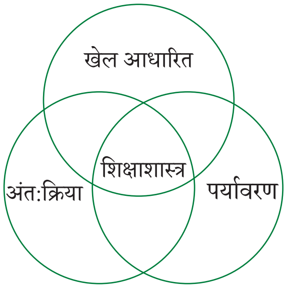

बच्चों को सक्रिय और व्यस्त शिक्षार्थी बनाना

विद्या प्रवेश कार्यक्रम के उद्देश्य

- विद्यालय गमन के वातावरण का पूर्वाभ्यास का विकास करना।
- कक्षा एक के स्तर पर बच्चों का व्यवधानरहित शिक्षण सुनिश्चित करना।
- खेल-खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी एवं प्रेरक वातावरण तैयार करना।
- औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना।
- पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
- खेल-विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना।
- विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति अथवा ड्राप आउट की दर को न्यूनतम स्तर तक लाना।
- विद्यालयों (औपचारिक शिक्षा) में बच्चों के नामांकन में अभिवृद्धि करना।
- निपुण भारत मिशन/बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु अंतरिम उपाय के रूप में माध्यम तैयार करना।
- शिक्षार्थी बनने के कौशल का विकास करना।
- शिक्षार्थियों की शिक्षा की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना।

विद्या प्रवेश कार्यक्रम का क्रियान्वयन

बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए प्ले-स्कूल की संकल्पना शहरी क्षेत्र की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचाने के दृष्टिकोण से 2022–2023 में देश के सभी स्कूलों में प्रारंभ की जा रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशानुसार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं बुनियादी शिक्षा के उन्नयन के उद्देश्य से पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पूर्व ही अक्षर और संख्या ज्ञान के कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभिक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें बच्चों के लिए खेल-विधि के माध्यम से अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। यह कार्यक्रम बाल वाटिका के सीखने के परिणाम पर आधारित होगा। इसे स्वास्थ्य कल्याण, भाषा एवं साक्षरता, गणितीय सोच और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस रेडीनेस पैकेज में अनुकरणीय गतिविधियों और कार्य-पत्रकों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों में साझा करने, मदद करने, मेल-मिलाप, स्कूल की दिनचर्या का पालन तथा नवीन वातावरण में समायोजन होने जैसे गुणों का विकास सुनिश्चित हो सके। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के प्रारूप के अनुसार कार्यक्रम की अवधि तीन माह तथा प्रतिदिन की समय अवधि चार घंटे की होगी जिसके लिए सप्ताह में पाँच दिन का समय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों को अपनी जरूरतों एवं अनुकूलता अनुसार लागू करने की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति, इस कार्यक्रम को मिशन मोड

में तत्काल उपाय के रूप में लागू करने की अनुशंसा करती है जिससे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में निवेश करने से बुनियादी शिक्षा की पहुँच प्रत्येक बच्चे तक सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे समाज में समानता का भाव स्थापित होगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को वर्ष 2030 से पूर्व-सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम हेतु समय निर्धारण (अवधि 4 घंटे एवं 7 कालांश)

- प्रार्थना कालांश
- स्वतंत्र खेल कालांश
- संख्यात्मक कालांश
- पर्यावरण एवं विज्ञान कालांश
- भोजन (अंतराल)
- भाषा एवं साक्षरता कालांश
- बाहरी खेल कालांश
- फिर मिलेंगे कालांश

विद्या प्रवेश कार्यक्रम की विशेषता

प्रारंभिक मॉड्यूल में तीन विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू करने पर सीखने की प्रवृत्ति के लिए अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने पर बल देते हैं।

विकासात्मक लक्ष्य 1— बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना (एच.डब्ल्यू.)।

विकासात्मक लक्ष्य 2— बच्चों को प्रभावशाली संप्रेषक बनाना (ई.सी.)।

विकासात्मक लक्ष्य 3— बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और आसपास के परिवेश से जुड़ना (आई.एल.)।

- मूलभूत साक्षरता में मौखिक भाषा, प्रिंट जागरूकता, ध्वन्यात्मकता, वर्णमाला पहचान, तुकबंदी आदि को शामिल किया गया है।
- मूलभूत संख्यात्मकता में आकार, रंग, स्थानिक भावना, वर्गीकरण, क्रमांकन, पैटर्न बनाने, अनुक्रमिक सोच, डेटा हैंडलिंग आदि अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है।

मॉड्यूल में निर्धारित लक्ष्य सीखने के स्पाइरल तरीके पर आधारित है जो कि एच.डब्ल्यू, ई.सी, आई.एल. के क्रम में निरूपित है। प्रथम लक्ष्य 'बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना' को प्राप्त करने के लिए खेल, कला

विकासात्मक लक्ष्यों के अंतर्गत दक्षताओं को सूचीबद्ध किया गया है जो इस प्रकार हैं—

विकासात्मक लक्ष्य 1	विकासात्मक लक्ष्य 2	विकासात्मक लक्ष्य 3
• सकल मोटर कौशल • फाइन मोटर स्किल्स • आँख-हाथ का समन्वय • सामाजिक-भावात्मक विकास • स्वास्थ्य और पोषण • स्वच्छता • सुरक्षा	• बात करना और सुनना • समझ के साथ पढ़ना • प्रभावी संचारक • भाषा और साक्षरता विकास • उद्देश्य के साथ लिखना	• संवेदी विकास • संज्ञानात्मक कौशल • पर्यावरण-संबंधी अवधारणाएँ • संख्या समझ

एकीकरण और कहानी कहने के साधनों का उपयोग करते हुए व्यावहारिक शिक्षण कार्य किया जाना है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए, इसमें शारीरिक और मोटर विकास, सामाजिक, भावात्मक विकास, पोषण, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष फोकस किया गया है। अन्य दो लक्ष्यों 'बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनें' एवं 'बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना' का उद्देश्य साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए नींव का निर्माण करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे प्रभावी संचारक बनें और इसमें इस प्रकार शिक्षार्थी शामिल हों जो अपने तत्काल वातावरण से जुड़ने में सक्षम हों। इस प्रकार जो बच्चे बिना पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए सीधे ही कक्षा 1 व 2 में प्रवेश लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक औपचारिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने को प्राथमिकता देने के लिए यह तैयार किया गया है। जिससे एक सुव्यवस्थित विद्यालय कार्यक्रम की तैयारी होती है जो बच्चों के सीखने को सहज और विद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया को आसान बना सकेगा।

विद्या प्रवेश कार्यक्रम से बच्चों में अपेक्षित कौशल विकास

- सीखने के लिए उत्सुक एवं तत्पर।
- संवाद एवं संचार के कौशल का विकास।
- गतिविधियों के आत्मसाथ करने की पहल।
- वर्गीकृत एवं व्यवस्थित करने में निपुण।
- गणितीय समझ का विकास।
- पढ़ने और लिखने के तरीकों की समझ विकसित हो पाना।
- परिवेशीय वस्तुओं और वातावरण का बोध हो पाना।

आकलन एवं दस्तावेजीकरण

बच्चों के बौद्धिक विकास और सीखने की प्रवृत्ति या जानने हेतु सतत रूप से रचनात्मक आकलन किया जाना है जिससे बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके।

- विद्यार्थियों का आकलन नियमित रूप से कक्षा-कक्षीय संपूर्ण प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना है। कार्यपुस्तिका में प्रथम, द्वितीय व तृतीय माह के आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। इन आकलन प्रपत्रों में सभी विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार अधिगम सूचक दिए गए हैं। इन्हीं अधिगम सूचकों पर बच्चों के साथ कार्य करते हुए प्रगति दर्ज की जाएगी। अधिगम सूचकों के अनुसार गतिविधि कराते समय बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुरूप संबंधित कॉलम (1) में किया जायेगा।
- माह का कार्य पूर्ण होने पर आकलन पत्रक को कार्य पुस्तिका से पृथक कर बच्चों के पोर्टफोलियो में संधारित किया जाना है। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय माह में भी संधारित किया जाएगा।

आकलन के टूल

- अवलोकन
- लिखित कार्य/रिकॉर्ड
- पोर्टफोलियो
- चैक लिस्ट
- रेटिंग स्केल
- फोटोग्राफ एवं वीडियो क्लिप

सुझावात्मक आकलन

कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में माहवार समेकित आकलन प्रपत्र का आकलन संलग्न किया गया है जिसमें सीखने के स्तर के अनुसार निम्नांकित ग्रेड देते हुए समेकित आकलन प्रपत्र तैयार कर, प्रगति अभिलेख के रूप में विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है।

(अ) स्वयं करता है।

(ब) सहयोग से करता है।

(स) बहुत अधिक सहायता से करता है।

निष्कर्ष

यह कार्यक्रम एक खेल-आधारित शिक्षण प्रक्रिया का अनुसरण और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों और स्थानीय खेल सामग्री के उपयोग के साथ अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चे प्रारंभिक दिनों में सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक रूप से शिक्षा के लिए कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन्हें एक औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक भावात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक कौशल विकास की आवश्यकता होती है। एक सुव्यवस्थित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम (रेडीनेस कार्यक्रम) बच्चों के सीखने के माहौल को सहज बनाता है। बच्चों की वृद्धि, विकास और सीखने में माता-पिता और समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए गए हैं। यह गतिशील दस्तावेज, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन को लागू करने के लिए शिक्षकों, हितकारकों और समुदाय के अनुभवों/फीडबैक के आधार पर लगातार संबंधित करने के प्रावधान पर आधारित है। दिव्यांग बच्चों में सीखने के कौशल विकास के उद्देश्य से आनंदमय और तनावमुक्त सीखने की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें यह अपेक्षा की गई है कि गतिविधियों के माध्यम से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणाओं को भी सीखेंगे और ऐसे कौशल हासिल करेंगे जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक सुदृढ़ नींव के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे।

संदर्भ

कानून एवं न्याय मंत्रालय. 2009. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र*. कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

———. 2021. *विद्यालय प्रवेश गाइडलाइंस-प्ले-बेस्ड स्कूल प्रिप्रेशन मॉडयूल फॉर ग्रेड-1 2021*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

———. 2021. राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत). *विवरणिका 2021*. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.